अपराध गोष्ठी

पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ की गई सैनिक सम्मेलन/अपराध समीक्षा गोष्ठी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश–

अपराध गोष्ठी के दौरान थाना प्रभारियों को वांछित, वारंटी व इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी, शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर की कार्यवाही तथा आगामी त्यौहारों में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 16.08.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ सैनिक सम्मेलन/अपराध गोष्ठी की गई। जिसका मुख्य विषय कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा। महोदय द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित पुलिस कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा अपराध गोष्ठी कर दिनांक 04.08.2024 ये 10 दिवस चलाये गए विवेचना निस्तारण विशेष अभियान के तहत थानावार विवेचनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा काफी दिनों से लंबित चल रही विवेचनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर इतनी लम्बी अवधि तक विवेचनाओं के लंबित रखने का कारण जानते हुए विवेचनाओं की स्थिति में आ रही परेशानियों के बारे जाना तथा गुण दोष के आधार पर जल्द से जल्द विवेचनाओं के निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। महोदय द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा थानें पर रहकर जनसुनवाई कर पीड़ित फरियादियों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनने व उनका तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा कजरी तीज, चहल्लुम व जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ बैठक कर त्योहार को सकुशल सम्पन्न कराने तथा संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए सुरक्षा हेतु प्रभावी प्रबन्ध कर त्यौहारों पर विशेष सतर्कता रखने तथा पोस्टर पार्टी को प्रतिदिन ब्रीफ कर समय से रवाना कराने हेतु बताया गया। महोदय द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के

निर्देश दिए गए साथ ही नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी करने, बैंक व लेनदेन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ–साथ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने हेतु निर्देशित किया गया तथा पीआरवी वाहनों की सक्रियता बढ़ाए जाने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु बताया गया।

वर्ष 2024 में अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 88 अभियुक्तों के विरुद्ध 25 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं तथा 60 नए अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। गैंगस्टर एक्ट के 03 प्रकरणों में अपराध से अर्जित की गयी 70,83,729/– रू0 की सम्पत्ति जब्त की गयी है। 155 व्यक्तियों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी तथा अपराधियों पर शिंकजा कसने के लिए अब तक 12 सक्रिय गिरोह के ऊपर गैंग पंजीकरण' की कार्यवाही की गयी जिससे इन गिरोह की हमेशा निगरानी की जा सके।

इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, निरीक्षक प्रज्ञान, पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/शाखा प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.08.2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा की . तैयारियों को लेकर की गयी समीक्षा बैठक–

गोण्डा। आज दिनांक 17.08.2024 को कर्नलगंज तहसील सभागार कक्ष में जनपद में आगामी_23,24,25,30 एव 31 अगस्त 2024 को प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होने वाली उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कर्नलगंज तहसील सभागार कक्ष में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं केन्द्र पुलिस अधिकारियों सहित सम्बन्धित अधिकारियों के साथ परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी महोदया द्वारा जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक को निर्देशित किया कि परीक्षा की जो नियम–शर्ते हैं, उनके अनुरूप की परीक्षा कराएंगे। किसी भी स्तर पर छोटी से छोटी गलती भी अक्षम्य होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी संज्ञान में आयी तो व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही तय करते हुए जिम्मेदार पर कड़ी कार्यवाही होगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर हो रही सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। महोदय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी गयी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी हो जाएं और सम्बन्धित अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहें। महोदय द्वारा यह भी बताया गया कि परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए गोपनीय और ओपनली दोनो प्रकार की टीमे अपना काम कर रही है। स्पेशल सेल को एक्टिव कर दिया गया है। संलिप्तता और गड़बड़ी की स्थिति में पुलिस कार्यवाही निष्पक्ष होगी और परीक्षा केन्द्र से सीधे जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.08.2024
संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील तरबगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया–

आज दिनांक 17.08.2024 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में कर्नलगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना–पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कर्नलगंज, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज, प्र0नि0 कर्नलगंज सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट,</u>
<u>दिनांक 17.08.2024</u>

<u>चोरी/लूट की कई घटनाओं का खुलासा, 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री रामेश्वर प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–357/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0–355/24, धारा 305,317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0–244/24, धारा 392 भादवि से सम्बन्धित घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संक्षिप्ल 02 शातिर चोर/लूटेरों–01.रामसेवक पुत्र बरसाती नि0 सरदार पुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा, 02. विजय उर्फ मेघी पुत्र रामकेवल नि0 सरदार पुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद हीरो हण्डा मोटरसाईकिल, 10 अदद कपड़े व 1200 रू0 नगद बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 15.08.2024 को वादी चुनमुन पासी पुत्र अयोध्या प्रसाद पासी नि0 ग्राम बढईन पुरवा मौजा पकवान गांव थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.08.2024 को मै अपनी मोटरसाईकिल के साथ बांस गांव अपनी ससुराल गया था कि रास्ते में पसका बाजार के पास चाय पीने के लिए मोटरसाईकिल खड़ी की तभी किसी अज्ञात व्यकित द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को चोरी कर लिया गया है। सूचना पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 पवन सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 17.08.2024 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों–01.रामसेवक पुत्र बरसाती, 02. विजय उर्फ मेघी पुत्र रामकेवल को सुकई पुरवा बन्धा चौराहा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद हीरो हण्डा मोटरसाईकिल, एक बोरी में 10 अदद कपड़े व 1200 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:–</u>

कडाई से पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हमलोगो ने अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर यह मोटरसाईकिल दिनांक 13.08.2024 को पसका बाजार से चुरायी थी तथा 10–11 दिन पहले हमलोगो ने दुरौनी डीहा गांव में यादव के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व कपड़े चुराये थे तथा करीब ढाई महीना पहले कस्बा परसपुर की रहने वाली एक महिला के गले से मोतियों का माला लूटा था। गिरफ्तार

अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01.रामसेवक पुत्र बरसाती नि0 सरदार पुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. विजय उर्फ मेघी पुत्र रामकेवल नि0 सरदार पुरवा दुरौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–357/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–355/24, धारा 305,317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–244/24, धारा 392 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. मु0अ0सं0–357/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अदद मोटरसाईकिल।
02. मु0अ0सं0–355/24, धारा 305,317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 10 अदद कपड़े।
03. मु0अ0सं0–244/24, धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 1200 रू0।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

02. उ0नि0 पवन कुमार सिंह।
02. उ0नि0 संदीप वर्मा।
03. हे0का0 मुन्नीलाल।
04. का0 अभिषेक यादव।
05. का0 पुष्पेन्द्र सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>